कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला मुरैना (म. प्र.)

मुरैना, दिनांक 2016

:: विज्ञप्ति ::

तृतीय चरण में टेण्डर द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2016–17

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि मुरैना जिले की टेण्डर के द्वितीय चरण से शेष रही 41 देशी मदिरा एवं 14 विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री की दुकानें जो 17 एकल समूहों में रखी गई है, वर्ष 2016–17 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए निष्पादन पृथक–पृथक अथवा मदिरा दुकानों के एकल समूहों में निश्चित आरक्षित मूल्य पर **सील्ड टेण्डर** आमंत्रित कर कलेक्टर, मुरैना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कलेक्टोरेट सभाकक्ष, मुरैना में **दिनांक 18 मार्च 2016 दिन शुक्रवार को दोपहर 14:00 (02:00 बजे दोपहर)** से कार्यवाही पूर्ण होने तक किया जायेगा। निष्पादन की शर्तें एवं प्रक्रिया संबंधी राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 73, भोपाल, दिनांक 05.02.2016, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 78, दिनाक 12.02.2016, को वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

वर्ष 2016–17 के लिये टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली जिले की टेण्डर के द्वितीय चरण से शेष रही सभी देशी एवं विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका आरक्षित मूल्य, टेण्डर ऑफर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि, संबंधित एकल समूहों की नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिये रू. 10,000/– तथा नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिये रू. 5,000/– के मान से समेकित टेण्डर प्रपत्र मूल्य, आदि (सेल पेपर) की जानकारी कलेक्टर, कार्यालय जिला मुरैना के साथ–साथ कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला मुरैना एवं जिले समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। टेण्डर की कार्यवाही से संबंधित नियमों, विक्रय–ज्ञापन, ड्यूटी की दर तथा देषी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की वर्तमान वर्ष के नौ माह में खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना के कार्यालय से किसी भी दिन (अवकाष के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

वर्ष 2016–17 के लिये जिले की टेण्डर के द्वितीय चरण से शेष रही देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस निम्नानुसार तिथियों एवं समय पर उनके समक्ष उल्लेखित स्थलों पर घोषित आरक्षित मूल्य पर टेण्डर द्वारा निष्पादित/निवर्तित किये जायेंगे :–

1	टेंडर प्रपत्र विक्रय का स्थान, तिथि व समय।	राज्य के किसी भी जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 14 मार्च 2016 से दिनांक 17 मार्च 2016 की अवधि में (अवकाश के दिन सहित) प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 17.30 बजे तक तथा दिनांक 18 मार्च 2016 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
2	भरे हुए टेंडर प्रपत्र जमा करने का स्थान तिथि व समय।	आबकारी आयुक्त म.प्र. के मोतीमहल ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक 16 मार्च 2016 दिन बुधवार को सायंकाल 17:00 बजे तक।
		संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में दिनांक 17 मार्च 2016 दिन गुरूवार को सायंकाल 17:00 बजे तक।
		जिला आबकारी अधिकारी, जिला मुरैना के कार्यालय में दिनांक 18 मार्च 2016 दिन शुक्रवार को दोपहर 13:00 बजे तक।